

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ २१। /पटना, दिनांक :- १८.१.२३

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति निलम्बित द्वारा कार्य प्रमंडल है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम १७ के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम १७ के तहत मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-१ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय-अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

१७/१/२०२३

(सजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ २१२ (अ) /पटना, दिनांक :- १८.१.२३

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा ४५ (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

१७/१/२०२३

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ २१२ (अ) /पटना, दिनांक :- १८.१.२३

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-१ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय-अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

१७/१/२०२३

विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2 / अ०प्र०-१-९९/२२ २१२ / पटना, दिनांक :— १८.१.२३

प्रतिलिपि :— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-५, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 2 / अ०प्र०-१-९९/२२ २१२ / पटना, दिनांक :— १८.१.२३

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/1/2023
विशेष सचिव